

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 122]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 मार्च 2026 — फाल्गुन 18, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 मार्च 2026

अधिसूचना

F.N. RULE/210/2026-COMTAX SECTION (15).— राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 112 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 30 जून, 2026 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है जिस तक, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष, उन मामलों के संबंध में जहां वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जाने की वांछा की गई है, 1 अप्रैल, 2026 से पहले अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित कर दिया गया है, अपील फाइल की जा सकेंगी, और 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् संसूचित आदेश के संबंध में सभी अपीलें उस तारीख से, जिसको ऐसा आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जा सकेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के. सिंह, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 मार्च 2026

F.N. RULE/210/2026-COMTAX SECTION (15).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना F.N. RULE/210/2026-COMTAX SECTION (15) दिनांक 06-03-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के. सिंह, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 6th March 2026

NOTIFICATION

F.N. RULE/210/2026-COMTAX SECTION (15) – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 112 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the 30th day of June, 2026, as the date upto which appeal may be filed before the Appellate Tribunal under this Act in respect of all cases where the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal before the 1st day of April, 2026 and all appeals in respect of order communicated on or after 1st April, 2026 may be filed before the Appellate Tribunal within three months from the date on which such order is communicated to the person preferring the appeal.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S.K. SINGH, Deputy Secretary.